



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 10.08.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली उरई पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय एडीजे/पॉक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए 05 वर्ष का कारावास एवं 4,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त ज्ञानेन्द्र द्विवेदी उर्फ टाईगर पुत्र दिनेश द्विवेदी निवासी जेके हाउस के पीछे रामनगर कस्बा व थाना कोतवाली उरई के विरुद्ध कोतवाली उरई पर मु०अ०सं० 1650/19 धारा 354क/506(2) भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व कोतवाली उरई पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय एडीजे/पॉक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त ज्ञानेन्द्र उपरोक्त को दोषी पाते हुए 05 वर्ष का कारावास एवं 4,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री बृजराज सिंह राजपूत
ADGC



श्री विश्वजीत सिंह
ADGC



प्र०नि० मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



हे०का० सुधीर सिंह
कोर्ट मुहरि



का० राहुल लवानिया
कोर्ट पैरोकार

jalaunpolice
X f i